महोदय, मैं जो विषय तैयार करके आई थी।...(**व्यवधान**)..

**श्री उपसभापतिः** माननीय साधना सिंह जी, आप इसका नियम समझ लीजिए कि आपने जो टैक्स्ट यहाँ लिखकर दिया है, जो मंजूर हुआ है, वही शब्दश: पढ़ना है।

**श्रीमती साधना सिंहः** कई बार एम्बुलेंस और अग्निशमन के वाहन भी यहाँ आकर फंस जाते हैं जिससे आपातकाल की सुविधाएं भी बाधित होती हैं।

महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग के इस भाग पर एलिवेटेड रोड बनाने से इस समस्या का सदा के लिए समाधान हो जायेगा।

**Demand for construction of Tintoi-Modasa railway line**

**श्री चुन्नीलाल गरासिया** (राजस्थान)**:** महोदय, राजस्थान राज्य के विश्व-प्रसिद्ध पर्यटक स्थल उदयपुर में पिछले कई वर्षों से पर्यटकों के आने की संख्या मे काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसका मुख्य कारण रेल मार्ग की सुविधा का पर्याप्त होना।

माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के अथक प्रयासों से उदयपुर-असारवा (अहमदाबाद) तक रेल-आमान परिवर्तित कर नया रेलमार्ग शुरू करवा दिया गया है तथा देश के कई राज्यो को जोड़ने के लिए नई रेलगाड़ियाँ भी उदयपुर सिटी से शुरू करवा दी गई हैं। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का कोटि-कोटि अभिनंदन करता हूं।

उदयपुर-संभाग क्षेत्र से कई उद्योगपति, गरीब, मजदूर वर्ग, नौकरी पेशा लोग अपने रोजगार के लिए मुंबई के लिए आवागमन रेल द्वारा करते हैं, परंतु वर्तमान में जो रेल मार्ग शुरू किया गया है, वह उदयपुर से असारवा (अहमदाबाद) तक किया गया है। वहां से मुंबई के लिए अन्य ट्रेनें पकड़नी पड़ती है, जिससे रेल यात्री, छोटे-बच्चे, बुजुर्ग काफी परेशान होते हैं। यदि यही रेलमार्ग टिंटोई से मोडासा (गुजरात) जो 20 किलोमीटर तक का एक टुकड़ा बचा है, इस मार्ग पर रेल लाइन बिछा दी जाए तो वाया-बड़ौदा-उदयपुर रेल मार्ग से मुंबई के लिए सीधा रेल मार्ग जुड़ जाएगा जिससे उद्योगपति, गरीब, मजदूर वर्ग, नौकरी-पेशा लोगों और पर्यटकों को मुंबई से उदयपुर आने-जाने में समय और धन दोनों की बचत होगी।

अतः मैं आपके माध्यम से भारत-सरकार से मांग करता हूं कि टिंटोई से मोडासा (गुजरात) तक 20 किलोमीटर नये रेल मार्ग का सर्वेक्षण करवा कर, इसे उदयपुर रेल मार्ग से जोड़ा जाए, जिससे वाया बड़ौदा होते हुए मुंबई तक पहुंचा जा सके, इससे समय व दूरी की बचत होगी, उदयपुर आने के लिए पर्यटकों को सीधा रेल मार्ग भी मिल जाएगा और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Chunnilal Garasiya: Shrimati Ramilaben

Becharbhai Bara (Gujarat) and Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh).

**Urgent need to restore the glorious position of the Cooch Behar National Library located in the Cooch Behar Palace in West Bengal**

SHRI NAGENDRA RAY (West Bengal): Sir, historically speaking, the establishment of the Cooch Behar National Library at Cooch Behar Palace dates back to the year 1870. This Library has great heritage character and position among the local people of the Kshastriya Rajbanshi community because of cultural and ethnical bond and values. It has a huge collection of various types of rare books, journals, magazines, manuscripts, periodicals, etc. This historical Library was later renamed as the North Bengal State Library and is situated in the heart of Cooch Behar Town. It is important to know that after the merger of Cooch Behar with the Indian Dominion, the Library was accorded 'A' category status. Later, it was renamed as North Bengal State Library by West Bengal Government and in the process, it got 'B' category status on 1st April, 1969.

I humbly request the Central Government to conduct a comprehensive review of the situation and order restoration of the original character and position of the Library as the Cooch Behar National Library in the larger interest of the Kshatriya Rajbanshi community. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Pramod Tiwari, "Concern over cases of tax dispute on GST."

**Concern over cases of tax dispute on GST**

**श्री प्रमोद तिवारी** (राजस्थान): महोदय, जीएसटी अधिकारियों ने विदेशी शाखाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर बेंगलुरु स्थित इंफोसिस लिमिटेड पर अप्रत्यक्ष कर चोरी से संबंधित 32,403 करोड़ रुपये का नोटिस दिया है। यह अप्रत्यक्ष कर मामला वर्ष 2017 से शुरू होकर अगले 5 वर्ष के लिए है। यह मांग इंफोसिस के लिए एक वर्ष के लाभ से अधिक है। हालाँकि, इंफोसिस ने नोटिस को "कारण बताओ पूर्व" नोटिस कहा और कहा कि उसका मानना है कि कर संबंधित सेवाओं पर लागू नहीं होता है। जीएसटी की मांग से दिलचस्पी बढ़ना तय है, क्योंकि इंफोसिस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल का प्रबंधन करती है। 2015 में कंपनी को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 1,380 करोड़ रुपये का ठेका मिला था। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय के एक नोट में कहा गया है कि आईटी दिग्गज ने कारोबार करने के लिए विदेशों में